न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 25/2020 निर्णय दिनांक :– 28.2.20

उनवान

1. बाबूलाल मीणा पुत्र श्री महादेव प्रसाद जाति मीणा निवासी क्वाटर नम्बर 301, आर0पी0ए0 शास्त्रि नगर जयपुर।

––वादी

बनाम

1. रामरतन मीणा पुत्र श्री नारायण मीणा जाति मीणा निवासी 53/3449, लालावास जाजोलाई की तलाई तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया कि आराजी भूमि ख0 नं0 43 रकबा 0.78 कुल–किता 1 कुल रकबा 0.78 है0 जो वाके ग्राम बृजपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। वादग्रस्त भूमि का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पंत्र दिनांक 14/11/14 के जरिये सम्पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

1/3 हिस्से को विक्रय कर व्यय वादी को कब्जा संभला दिया गया था तब से ही वादग्रस्त आराजी पर वादी बतौर बहैसियत मालिक स्वामी काबिज काश्त है और उसका हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को विक्रय की गई भूमि से विक्रय किये जाने के पश्चात खातेदार प्रतिवादी सं० 1 का किसी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नहीं था ऐसी –स्थिति में प्रतिवादी सं0 1 का उक्त भूमि से किसी प्रकार से कोई सबंध व सरोकार नहीं था चुकि उक्त भूमि को कय किये जाने के पश्चात उक्त भूमि का एक मात्र मालिक स्वामी वादी है परन्तु ततसमय राजस्व कर्मचारियों द्वारा विकय पत्र की प्रति उपलब्ध करवाने के पश्चात वादी को नामान्तकरण की कार्यवाही पूर्ण कर वादी के हक में नामान्तकरण खोले जाने का आश्वासन दे दिया गया था जिस पर वादी द्वारा विश्वास कर लिया गया था परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम विक्रय पत्र दिनांक 14.11.2014 के आधार पर नामान्तकरण नहीं खोला गया। जिसकी जानकारी दिनांक 23/01/2020 को जमाबन्दी की नकल निकलवाने से हुई है। वादी ने वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादी के हक में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं0 2 के यहाँ नामान्तकरण खुलवाने बाबत कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई नहीं हुई और वादी को कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लाओ ऐसी स्थिति में न्यायालय से आदेश लाने के पश्चात ही राजस्व रिकार्ड में नाम इन्द्राज होगा जिस कारण वादी को वाद पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम खातेदारी अधिकारों के लिए वाद प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

करना आवश्यक हुआ। वादी को वादग्रस्त आराजी का विकय पत्र दिनांक 14.11.2014 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं० 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर वादी के नाम का इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामत किया जावे इस आशय की घोषणा वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं 2 भू–धारक है जिस. कारण उन्हें प्रकरण में प्रफोर्मा गया पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 23.01.2020 को राजस्व रिकार्ड की नकले निकलाने पर वादी के नाम नामान्तकरण नहीं खोले जाने तथा प्रतिवादी सं0 1 का नाम वादग्रस्त भूमि का विकय किये जाने के पश्चात भी राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार इन्द्राज चले आ रहे होने से प्रतिवादी सं0 1 का नाम हजफ करवाकर अपने नाम खुलवाने हेतु उत्पन्न होकर लगातार जारी है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कदर डिकी फरमाया जावे कि वादी को वादग्रस्त आराजी वर्णित मद सं० 1 का विकय पत्र दिनांक 14.11.14 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे इस हेतु तहसीलदार चाकसू को तहरीर जारी की जावे। दावा वकील वादी का दावा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये रजिस्ट्रर्ड ए0डी0 से की गयी तो प्रतिवादी संख्या 1 को ओर से वकील हाजीर आया व दावे का जवाब दावा पेश नही कर सीधे ही बहस दावा सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

समर्थन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.11.2014 को विक्रय कर वादी को कब्जा संभला दिया जब से वादग्रस्त भूमि पर वादी बतौर हैसियत स्थायी काबिज काश्त है, भूमि विक्रय करने के वाद प्रतिवादी संख्या 1 का किसी प्रकार का संबंध नही रहा। किन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 14.11.2014 के आधार पर नामान्तकरण खौला व तहसीलदार को नामान्तकरण खौले जाने हेतु कहा तो न्यायालय आदेश लाने को कहा गया अतः दावा स्वीकार कर फरमाया जाकर मुताबिक विक्रय पत्र के वादी के हक में नामान्तकरण खौले जाने के आदेश फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार नामान्तकरण खोलन में आपत्ति जाहिर नही की गयी। वादी ने दावे के समर्थन में ग्राम बृजपुरा की जमाबंदी संवत 2074–2077 खाता संख्या 23, विक्रय पत्र दिनांक 14.11.114 की फोटो प्रति, संपरिवर्तन आदेश कमांक/आरए/1357 दिनांक 24.09.18 के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये।

पक्षकारान वकील की बहस पर गौर किया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 0.78 है0 ग्राम बृजपुरा में स्थित है उक्त भूमि में से वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.11.14 को क्रय कर लिया गया था जिसका नामान्तकरण क्रेता के नाम खुला व बदस्तुर विक्रेता के नाम ही भूमि चली आ रही थी। प्रतिवादी संख्या 1 के

द्वारा सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा वादी को बेचान करने पर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि में से किसी प्रकार का हक व हकुक नही रहा। ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र 14.11.14 के अनुसार वादी के नाम नामान्तकरण खुलवाया जाना उचित समझते हे इस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा भी आपत्ति नही की।

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 0.78 है0 वाके ग्राम बृजपुरा तहसील चाकसू का विक्रय पत्र दिनांक 14.11.14 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना किये जाने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बात तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.05.22 15:38:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: